प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

रिपार्ट पटवारी......बामड़......व भू.अ. निरिक्षक......कोट......तहसील रायपुर

महोदयजी,

खाता संख्या 5 में अर्जी का नाम उगाम के बजाय उगम तथा खाता संख्या 4 में मोहनलाल के बजाय मोहन उर्फ किया जाना उचित हो। साक्ष्य में मतदाता पहचान पत्र जि

पटवारी बामड़ 18-10-2021

भू.अ.नि. कोट

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार रायपुर

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. अनुसार शुद्धि उचित है

18-12-21

तहसीलदार रायपुर
जिला भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला - भीलवाड़ा

क्रमांक :- प्र०गा०स०/2021 आदेश/34/21 (2021/228) दिनांक - 18.10.2021

जांच रिपोर्ट तहसीलदार रायपुर एवं संलग्न दस्तावेज अनुसार ग्राम मण्डी के खाता सं. 5 में उगामसवाल पुत्र मोहनसवाल के बजाय उगमा सवाल पुत्र मोहनसवाल एवं खाता सं. 4 में उगमा पुत्र मोहनलाल के बजाय उगमा पुत्र मोहन दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है। इसी प्रकार ... अमलदरामद जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.18 16:14:02 IST
Reason: SelfAttested

18-10-2021

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)

FORM NO.03
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

अनवान

उगमारावल पिता मोहनरावल निवासी मण्डी तहसील रायपुर
बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर

किस्म मुकदमा धारा 136 रा.भू.राज.अधि. 1956 मु0नं034 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज	
दिनांक– **18-10-2021**	प्रार्थी उगमा रावल पिता मोहन रावल निवासी मण्डी तहसील रायपुर के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि राजस्व ग्राम मण्डी के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत 2076–2079 में खाता संख्या 5 में किता 8 रकबा 0.78 है0 भूमि प्रार्थी उगामरावल पुत्र मोहनरावल सा. देह के नाम पर एवं खाता संख्या 4 में किता 1 रकबा 0.11 है0 भूमि में उगमा पुत्र मोहनलाल के नाम सहखातेदारी से दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी उगमा रावल पुत्र मोहन रावल सा. देह के बजाय खाता संख्या 5 उगाम रावल पुत्र मोहन रावल व खाता संख्या 4 में उगमा पुत्र मोहनलाल सा. देह अंकन हो रहा है जबकि वास्तविक नाम उगमारावल पिता मोहनरावल सा. देह है जिसके सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेज साथ संलग्न है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रायपुर से जांच रिपोर्ट ली गई जो शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार रायपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम मियाला के खाता संख्या 5 में खातेदार उगाम रावल पुत्र मोहन रावल व खाता संख्या 4 में उगमा पिता मोहनलाल सा. देह के बजाय उगमा रावल पिता मोहन रावल सा. देह दुरूस्ती किया जाना उचित बताते हुए दुरस्ती करने की अभिशंषा की गई। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् तहसीलदार रायपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार स्वीकार [illegible] खाता संख्या 5 में खातेदार उगाम रावल पु[illegible] संख्या 4 में उगमा पिता मोहनलाल सा. दे[illegible]रावल पिता मोहन रावल सा. देह के नाम राजस्व [illegible] स्वीकृती दी गई, विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया गया जो शामिल पत्रावली है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। 18·10·2021 (सुन्दर लाल बम्बोडा) उपखण्ड अधिकारी, रायपुर उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.18 16:14:02 IST
Reason: SelfAttested